कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मीरजापुर।

ई–निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2026–27

1. मण्डी परिसर की नियमित सफाई कार्यो हेतु टू बिड सिस्टम द्वारा (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदाये आमत्रित की जाती है। आन–लाईन निविदा बेवसाइट **http://etender.up.nic.in** पर दिनांक 16.05.2026 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 08.06.2026 को सांय 05:00 बजे तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है तथा 09.06.2026 को अपरान्ह 1:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेगी।
उक्त निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त निर्धारित समय के अनुसार तकनीकी बिड खोली जायेगी। कार्य का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निविदा मूल्य	कार्य की अनुमति लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	कार्य करने का पूर्ण समय
1	मण्डी परिसर की सफाई का कार्य	रू0–3100.00 (जी0एस0टी0 सहित)	17,46,511.00	1,75,000.00	10 माह

2. निविदा क्रय करते समय निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि के रूप में मांगी गयी धनराशि को एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति मीरजापुर के नाम बन्धक हो अपलोड करना होगा तथा निविदा शुल्क कार्यालय में नकद जमा की जा सकती है। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. ठेकेदार/फर्म द्वारा सफाई कार्य में लगाये गये कार्मिको की बायोमेट्रिक उपस्थित प्रत्येक दिन सुबह एवं शाम को दर्ज कराई जायेगी, जिसकी जॉच समय–समय पर मण्डी सचिव एवं उनके द्वारा अधिकृत कार्मिक द्वारा की जायेगी। तदनुसार ठेकेदार/फर्म को भुगतान किया जायेगा।
4. सभी सफाई कर्मचारियों को मासिक परिश्रमिक/वेतन का भुगतान उनके बचत खातो में आनलाइन ठेकेदार द्वारा स्थानान्तरित किया जाएगा तथा ठेकेदार द्वारा पिछले माह का वेतन सभी कर्मचारियों के खाते में स्थानान्तरित किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त ही ठेकेदार को अगले माह का सफाई का भुगतान किया जायेगा।
5. सभी सफाई कर्मचारियों के ईपीएफ/ईएसआई आदि की कटौतियों का साक्ष्य ठेकेदार द्वारा समिति कार्यालय का अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
6. ठेकेदार/फर्म द्वारा सफाई कार्य में लगाये गये सफाई कर्मियों को **"न्यूनतम मजदूरी भुगतान सहित सभी संगत विधिक प्राविधानो"** का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. सफाई कार्य के अनुबन्धित ठेकेदार को आर्गेनिक, इन–आर्गेनिक एवं पॉलीथीन/प्लास्टिक तीनों प्रकार के अपशिष्टों को पृथक–पृथक रूप से एकत्रित करने के साथ–साथ आर्गेनिक अपशिष्ट को बायो कम्पोस्टिंग के प्रयोग के अतिरिक्त ठोक अपशिष्ट/म्यूनिसिपल अपशिष्ट जनपद के प्रोसेसिंग प्लाण्ट या स्थानीय निकाय अथवा जिला पंचायत द्वारा चिन्हित डम्पिंग ग्राउण्ड पर नियमानुसार ले जाकर निस्तारण की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं के वाहन आदि से करायी जाएगी।
8. मण्डी स्थलो में निर्मित कार्यालय भवनों एवं (बैंक भवन, चेक–पोस्ट, सचिव कार्यालय) किसान विश्राम गृहो में भी सफाई कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
9. चरित्र प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हो, हैसियत प्रमाण–पत्र, जो कि दस लाख से कम ना हों व श्रम विभाग का पंजीकरण एवं **तीन वर्ष का टर्न ओवर/अनुभव प्रमाण–पत्र व पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर एवं आधार नम्बर आदि** प्रपत्र निविदा फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा तथा कार्यालय के आदेश जारी करने के उपरान्त मूल अभिलेख प्रस्तुत करने होगें।
10. एक व्यक्ति द्वारा एक ही मण्डी स्थल की सफाई के लिए एक ही टेण्डर दिया जायेगा/स्वीकार किया जायेगा।
11. **नियमित सफाई कार्य हेतु निविदा कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से वित्तीय वर्ष के अन्त अर्थात दिनांक 31 मार्च 2026 तक के लिए मान्य होगें तथा यू0पी0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मानिटरिंग कमेटी के कार्यवित दिनांक 05–05–2019 के अनुपालन में परिषद पत्र सं0 106 दिनांक 16–05–2019 द्वारा निर्गत निर्देशो का अनुपालन शत् प्रतिशत कराया जाये।**
12. एक या समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

क्रमशः–01

13. सफाई कार्य के बिल का भुगतान मण्डी समिति के सफाई निगरानी समिति के सत्यापन के उपरान्त आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा, जो सफाई निगरानी समिति के रिपोर्ट के अधीन होगा।
14. औसतन सफाई मजदूर मण्डी स्थल के खाद्यान्न एवं फल सब्जी परिसर हेतु 09 सफाईकर्मी फुलटाइम श्रम विभाग की दरों में रखकर सफाई कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा। परन्तु अवस्यक/बाल श्रमिक नहीं रखें जायेगे।
15. सफाई कार्य की अवधि प्रतिदिन 8 घन्टे होगी तथा उपस्थिति पंजिका पर सफाईकर्मी द्वारा प्रतिदिन हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा तथा अधिकृत कर्मचारी उपस्थिति पंजिका का नियंत्रक अधिकारी होगा। अधिकृत कर्मचारी के बिना सत्यापन के भुगतान बिल पास नहीं होगा।
16. सफाई व्यवस्था हेतु सफाई ठेकेदार को प्रत्येक दिवस 1 ट्रैक्टर टाली (सभी खर्चो सहित) तथा प्रत्येक सप्ताह 4 घण्टे जे0सी0बी0 मशीन द्वारा सफाई करना अनिवार्य होगा। मण्डी परिषद को कूड़ा प्रतिदिन हटवाते हुए नगर पालिका द्वारा निर्धारित डम्पिंग ग्राउन्ड पर फेकना अनिवार्य होगा। तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मण्डी स्थल पर पड़ी सिवर लाईन/नालियों के पानी का उत्प्रवाह मण्डी स्थल के सड़को एवं दुकानों पर न जमा होने पावें।
17. मण्डी स्थल के अन्दर यदि सीवर लाईन पड़ी है तो उसकी सफाई करनी होगी ताकि जल भराव न हो।
18. हर संस्था को लेबर एक्ट का पालन करना होगां।
19. यदि सफाई कार्य करते समय कार्यरत कर्मचारी के साथ यदि कार्य अप्रिय दुर्घटना होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होंगी न कि समिति की।
20. सफाई कार्य करते समय यदि किसी सम्पति की क्षति होती है तो उसकी क्षतिपुर्ति ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली धनराशि से की जायेगी।
21. सफाई ठेकेदार द्वारा लगाये गये सफाई कर्मियों में से कम से कम 8 घण्टे मण्डी परिसर मे अपने स्वंय की उपस्थित में कार्य करना होगा। परिसर में आकर मात्र समय पास करने की अवधि तथा 8 घण्टे के पूर्व कार्य बन्द कर दिये जाने की अवधि का भुगतान ठेकेदार के भुगतान बिल से प्रतिघण्टा की दर काट लिया जायेगा। अतः अलग से कोई सुपरवाइजर नहीं रखा जायेगा।
22. मण्डी स्थल के दिये निर्धारित संख्या से किसी दिन कम श्रमिक लगाये जाने या पुरे 8 घण्टे का कार्य न कराने की स्थिति में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रति मजदूर प्रतिदिन की दर से ठेकेदार के भुगतानिक बिल से कटौती कर ली जायेगीं।
23. अपूर्ण सर्शत अथवा प्रतिबन्धित द्वारा डाली गयी कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
24. निविदा स्वीकृति के पश्चात स्टाम्प पेपर पर सभी शर्तो को स्वीकार करने तथा उसके अनुसार ही कार्य करने का अनुमन्य ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध का पंजीकरण निबन्धक कार्यालय से निष्पादित कराना अनिवार्य होगा तथा इसके होने वाले व्यय का वहन स्वयं निविदादाता को करना होगा। रजिस्टर अनुबन्ध न कराने की स्थिति में सफाई ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
25. कोई भी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी मण्डी समिति मीरजापुर/गठित कमेटी में निहित होगा तथा गठित कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगा।
26. ठेकेदार का सफाई व्यवस्था में प्रयोग होने वाले संयन्त्र/उपकरण तथा झाड़ू, ठेला, फावड़ा, डलिया, ब्लीचिंग पाउडर, चूना एवं सफाई में प्रयोग करने वाले अन्य सामग्री की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
27. ठेकेदार को आन्तरिक सड़कों, खुले स्थान, नीलामी चबूतरों, व्यापारिक दुकानो, के सामने पड़े टीन सेड़ो एवं आवासीय कालोनी की दैनिक रूप से सफाई करानी होगी इसके अतिरिक्त नाली/नालों की भी दैनिक सफाई कराना होगा।
28. ठेकेदार को मण्डी स्थल में पड़े हुए सड़े गले पदार्थो एवं मृत जानवरों की निस्तारण मण्डी स्थल के बाहर कराना होगा।
29. मण्डी परिसर के समस्त भवनों की छतों एवं डाउन पाइपों की सफाई दो बार माह नवम्बर व माह मई मे अनिवार्य रूप से करानी होगी।
30. मण्डी स्थल में कार्यालय, चेक–पोस्ट/आवास के ग्राउण्ड, शौचालयों/मूत्रालयों/प्रशाधन गृहों आदि की भी सफाई प्रतिदिन करानी होगी।

क्रमशः–02

31. मण्डी स्थल में निर्मित दुकानों टीन सेड़ो एवं भवनों के आस–पास अनावश्यक खरपतवार/घास की सफाई करानी होगी।
32. सफाई करने का समय इस प्रकार निश्चित किया जायेगा कि व्यापारी का कार्य बाधित ना हो, और नियमित रूप से सफाई होती रहे।
33. मण्डी स्थल में वांछित स्थानों पर कीटनाशक दवाओं एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव कराना होगा।
34. ठेकेदार को एक उपस्थिति पंजिका मण्डी समिति कार्यालय में रखना होगा जिसमें सफाई कर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज करे। उपस्थिति पंजिका की जॉच समय समय पर मण्डी सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
35. ठेकेदार द्वारा निर्धारित संख्या से कम मजदूर लगाये जाने पर ठेकेदार के बिल से मजदूरी की कटौती करते हुए उसे नोटिस दिया जायेगा तथा नियमित तीन दिन तक कम मजदूर लगाये जाने की स्थिति एवं सफाई संतोषजनक न होने की दशा में सफाई कमेटी की संस्तुति पर कारण बताओ नोटिस देते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी
36. कार्य संतोष जनक न होने की दशा मे जमानत धनराशि मण्डी समिति के पक्ष मे जब्त करने तथा ठेका निरस्त करने का अधिकार मण्डी समिति में निहित होगा।
37. नियमित सफाई कार्य के भुगतान पर ठेकेदार को सर्विस चार्ज, विभागीय कर, अन्य शासकीय देयकों का भुगतान उसके बिल से काटकर सम्बन्धित विभाग को नियमानुसार प्रेषित किया जायेगा।
38. सफाई कार्यो में गुणवत्ता के द्वष्टिगत 15 प्रतिशत से न्यूनतम वित्तीय बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
39. समय–समय पर निर्गत शासनादेशो/मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशो का पालन निविदादाता को करना होगा।
40. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मीरजापुर होगा।

12/05/26

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
मीरजापुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR GUPTA
Date: 2026.05.15 16:13:08 IST
Location: Uttar Pradesh-UP